Email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन/फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक –528/12-1, मुनिकीरेती, दिनांक– 19 / 09 / 2019

सेवा मे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग मार्ग के कि0मी0 02 व घनसाली–कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 को जोड़ने हेतु अर्द्धंगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.245 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन । (FP/UK/ROAD/14661/2015)**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी–मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्रांक–8बी/यू0सी0पी0/06/24/2018/एफ0सी0/816, दिनांक–19.07.2019।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में उल्लेख किया गया था कि *''प्रस्तावित मार्ग की के0एम0एल0 फाईल से यह प्रतीत होता है कि प्रस्तावित मार्ग के अन्तिम छोर पर कोई भी Habitation नहीं है । अतः के0एम0एल0 फाईल अभी भी सही प्रतीत नहीं होती है । ''* के कम में प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर–मार्ग एवं पुल किसी भी बसावट को जोड़ने हेतु नहीं अपितु बाईपास मोटर–मार्ग के रूप में निर्मित किये जाने हेतु प्रस्तावित है। चूंकि घनसाली मुख्य चौराहे में मार्ग की चौड़ाई अत्यन्त कम है तथा उक्त स्थल पर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना भी सम्भव नहीं है, इसलिए वाहनों के अत्यधिक आवागमन से जाम लगने पर घनसाली नगर में अव्यवस्था बनी रहती है । उक्त स्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक हो गया है । प्रस्तावित मोटर मार्ग बाईपास मोटर मार्ग होने के कारण के0एम0एल0 फाईल में इसके अन्तिम छोर पर कोई गांव/आबादी क्षेत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है ।

अतः प्रकरण पर आख्या सादर प्रेषित ।

भवदीय

Joshi

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

संख्या :– 528 / , **तददिनांकित।**

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को उनके पत्रांक–553/12–1, दिनांक–09.09.2019 के कम मे सूचनार्थ प्रेषित।

Joshi

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

0/c